"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2014— भाद्र 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक 7421/डी. 143/21-अ/प्रारू./छ.ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-08-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) की धारा 4 की उप-धारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(8) 'निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में प्रभारित किए जाने वाले शुल्क (फीस) का अवधारण करने में समर्थ होने के लिए समिति, संस्था से ऐसी जानकारी, ऐसी समयावधि के भीतर, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ऐसी कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचित करे :

परंतु यह कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर कि संस्था ने समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई राशि एकत्र की है, राज्य सरकार, ऐसी सूचना को, समिति को संदर्भित कर सकेगी और ऐसे किसी संदर्भ की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी सूचना को उप-धारा (9) के अधीन की गई शिकायत और सूचना देने वाले व्यक्ति को शिकायतकर्ता मान सकेगी.

स्पष्टीकरण- किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा, समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई राशि एकत्र की जाने की सूचना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को या राज्य सरकार के एक या अधिक अधिकारियों को या विश्वविद्यालय, जिसके विशेषाधिकार संबंधित संस्था को प्राप्त हैं, को दिए जाने तथा राज्य सरकार को ऐसी सूचना उक्त प्राधिकारी या अधिकारी या विश्वविद्यालय से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्राप्त होने की दशा में, ऐसा व्यक्ति, द्वितीय परंतुक के प्रयोजन के लिए शिकायतकर्ता माना जाएगा."

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक 7421/डी. 143/21-अ/प्रारू./छ.ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 16 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2014)

THE CHHATTISGARH NIJI VYAYSAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

An Act to further amend the Chhattisgarh Niji Vyaysayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2008 (No. 11 of 2008).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Niji Vyaysayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For sub-section (8) of Section 4 of the Chhattisgarh Niji Vyaysayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2008 (No. 11 of 2008), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 4.**

"(8) To enable determination of the fee that may be charged by a private professional educational institution in respect of each professional course, the Committee may require the institution to furnish such information within such timeframe as it may deem necessary and the fee fixed thereafter by the Committee shall be valid for such period as the State Government may notify:

Provided that upon receipt of any intimation that an institution has collected any amount other than the fee fixed by the Committee, the State Government may refer such intimation to the Committee, and upon receipt of such reference, the Committee may deem such intimation to be a complaint made under sub-section (9) and the person giving the intimation to be the complainant.

Explanation- In case an intimation of collection by a private professional educational institution of any amount other than the fee fixed by the Committee, is given by any person to any public authority, or to one or more officers of the State Government, or to the University to whose privileges the institution concerned is admitted, and the State Government directly or indirectly receives such intimation from said authority or officer or University, such person shall be deemed to be the complainant for the purposes of the second proviso."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.